[2020] 9 एस.सी.आर. 966

संजय तिवारी
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य आैर अन्य।

(आपराधिक अपील सं० 869 का 2020) 16 दिसंबर, 2020

[अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह, न्यायमूर्तिगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा. 482 के तहत आवेदन- एक अधिवक्ता द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हुए दायर किया गया- एक आपराधिक मामले जो कि धारा 420, 467, 468, 471, 477 ए और 120 बी आईपीसी और धारा 13 (1) जो कि धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के साथ पढ़ा गया, को समाप्त करने के लिए उच्च न्यायालय ने कार्यवाही में तेजी लाने के लिए संबंधित न्यायालय को निर्देश देने वाली याचिका की अनुमति दी- अभियुक्त द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील-कहा गया कि उच्च न्यायालय के पास आपराधिक मुकदमे में तेजी लाने के लिए ट्रायल कोर्ट को निर्देश देने की शक्ति है- भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में आपराधिक ट्रायल का संचालन और निष्कर्ष जल्द से जल्द किया जाना चाहिए लेकिन कार्यवाही में तेजी लाने की दलील तीसरे पक्ष द्वारा जनहित याचिका की आड़ में नहीं उठाई जा सकती है- इस प्रकार आवेदक (अधिवक्ता) के पास आवेदन दायर करने का स्थान नहीं था- इसलिए, आवेदन धारा 482 के अंतर्गत खारिज कर दिया गया है- हालांकि, यह परीक्षण अदालत के लिए मुकदमे में तेजी लाने के लिए खुला होगा। अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने कहा: 1. आपराधिक मुकदमा जहां अपराध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत शामिल हैं और जल्द से जल्द निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अपराध ऐसे अपराध हैं जो न केवल अभियुक्तों बल्कि पूरे समाज और प्रशासन को प्रभावित करते हैं। उपयुक्त मामलों में उच्च न्यायालय धारा 482 सी.आर.पी.सी. के तहत या किसी अन्य कार्यवाही में हमेशा आपराधिक मुकदमे में तेजी लाने के लिए ट्रायल कोर्ट को बहुत अच्छी तरह से निर्देशित कर सकता है और आवश्यक आदेश जारी किया जा सकता है। [पैरा 11] [970-एफ-जी] 2.1 वर्तमान मामले में, प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा शुरू की गई कार्यवाही निष्कपट प्रतीत नहीं होती है। उत्तरदाता 966 संजय तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।

नंबर 2 किसी भी तरह से अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से जुड़ा नहीं है। धारा 482 सी.आर.पी.सी. के तहत अपने आवेदन में उत्तरदाता नंबर 2 ने खुद को एक सामाजिक कार्यक्रता और एक वकील के रूप में वर्णित किया है। एक व्यक्ति द्वारा एक आवेदन जो किसी भी तरह से धारा 482 सी.आर.पी.सी. के तहत आपराधिक कार्यवाही या आपराधिक मुकदमें से जुड़ा नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा आमतौर पर विचार नहीं किया जा सकता है। एक अभियुक्त का आपराधिक मुकदमा, आपराधिक प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित किया जाता है। यह सुनिश्चित करना राज्य और अभियोजन पक्ष का दायित्व है कि सभी आपराधिक मुकदमे तेजी से चलाए जाएं ताकि दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को न्याय दिया जा सके। वर्तमान, एक ऐसा मामला नहीं है जहां अभियोजन या यहां तक कि अभियुक्त के नियोक्ता ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष या किसी अन्य अदालत में एक आवेदन दायर किया है, जो धारा 482 सी.आर.पी.सी. के तहत अपने आवेदन में प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा प्रार्थना की गई दिशा की मांग करता है। यह सभी आपराधिक मामले में पार्टियों के लिए प्रश्न उठाने और उचित मंच से पहले उचित समय पर उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती दें और जनहित याचिकाओं की आड़ में तीसरे पक्ष के लिए नहीं। [पैरा 11 और 14] [970-एच; 971-ए-सी 973-ए।

2.2 आम तौर पर आपराधिक मुकदमे में तेजी लाने के लिए ट्रायल कोर्ट को निर्देश देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश पर कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है, लेकिन वर्तमान मामले में तथ्य यह है कि प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा कार्यवाही शुरू की गई है जो किसी भी कार्यवाही से किसी भी तरीके से संबंधित नहीं था और प्रतिवादी नंबर 2 के पास आवेदन दायर करने के लिए कोई बिन्दुपथ नहीं है, जो स्पष्ट रूप से बनाए रखने योग्य नहीं था। इसलिए, धारा 482

सी.आर.पी.सी. के तहत प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया जाता है। [पैरा 15 और 16] [973-सी-डी]
जनता बनाम एच. एस. चौधरी और अन्य (1993) 1

एस.सी.सी. 756- पर निर्भर ।

3. हालांकि, यह आपराधिक मुकदमे में तेजी लाने के लिए ट्रायल कोर्ट के लिए खुला होगा, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत अपराध, लंबित कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश के अधीन [पैरा 16] [973-ई]

केस लॉ संदर्भ (1993) 1 एस.सी.सी. 756 पैरा 12 पर निर्भर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020]9 एस.सी.सी.आर.

आपराधिक अपीलीय न्यायाधिकरणः आपराधिक अपील 2020 की सं० 869

इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 09.09.2020 से आवेदन धारा 482 के अंतर्गत 2020 का सं० 13465

शरण ठाकुर, एएजी, अजीत शर्मा, रोहित के सिंह, अजय कुमार प्रजापति, सुश्री स्नेहा रवि अय्यर, सलाहकार दिखाई देने वाली पार्टियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय अशोक भूषण, जे. द्वारा दिया गया था

1. अनुमोदन स्वीकृत।

2. यह अपील धारा 482 सी.आर.पी.सी. के तहत आवेदन में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के द्वारा पारित 09.09.2020 के आदेश पर सवाल उठाते हुए दायर की गई है। प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दायर किया गया, जिस पर उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को आपराधिक मुकदमे में तेजी लाने और जल्द से जल्द निष्कर्ष निकालने का निर्देश दिया।

3. अपीलार्थी एफआईआर नंबर 02/2006, सतर्कता विभाग, लखनऊ में धारा 420,467,468,471,477 ए और 120 बी आईपीसी और धारा 13 (1) सी/डी के तहत भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा 13 (2) के तहत आरोपी है। उत्तर प्रदेश राज्य के सतर्कता विभाग ने आर. के. चौधरी द्वारा दायर एक शिकायत पर जांच शुरू की। 2005 की रिट याचिका संख्या. 45047 अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जिसमें उसके खिलाफ शुरू की गई सतर्कता जांच को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने 22.08.2005 को निर्देश दिया कि जबतक शिकायतकर्ता आर. के. चौधरी की जांच की जाती है तब तक अपीलकर्ता के खिलाफ कोई जांच आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। 08.12.2005 को सचिव, सतर्कता विभाग, यू. पी. अपीलकर्ता और पांच अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। जिसके आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ एफआईआर नंबर. 02/2006 दर्ज की गई थी। 2006 की रिट याचिका संख्या. 572 अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई थी जिसमें उच्च न्यायालय ने सचिव, सतर्कता विभाग द्वारा पारित 08.12.2005 के आदेश पर रोक लगा दी थी, जो आदेश 31.12.2006 के आदेश द्वारा जारी रखा गया था।

2. 2006 जनहित याचिका संख्या 35628/2013 में 04.07.2013 को एक आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने सी.बी.आई. द्वारा प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ता द्वारा दायर 2005 की रिट याचिका संख्या. 45047 को 29.01.2020 को वकील की उपस्थिति न होने के कारण खारिज कर दिया गया था। जिसके बाद अपर जिला न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (ए/सी), न्यायालय संख्या 5, गोरखपुर, यू. पी. के न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के

खिलाफ सतर्कता विभाग द्वारा दिनांक 23.05.2020 को आरोप-पत्र दायर किया गया। उत्तरदाता नंबर 2 ने धारा 482 सी.आर.पी.सी. के तहत एक आवेदन दायर किया।

संजय तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।

[अशोक भूषण, जे.]

04.08.2020 को विशेष न्यायाधीश को निर्देश देने और निष्कर्ष निकालने की मांग

विशेष परीक्षण संख्या 520/2020 उनके आवेदन में उत्तरदाता नंबर 2

पैराग्राफ 6 ने अपने/ओकस का खुलासा करते हुए निम्नलिखित अवलोकन किए हैं:

"6 कि आवेदक एक सामाजिक कार्यकर्ता और पेशे से एक अधिवक्ता है और एक व्यक्ति को सभी संभावित तरीकों से समाज में सकारात्मक योगदान करने का आग्रह है। वह शपथ पर कहता है कि वह धारा 482 सी.आर.पी.सी. के तहत यह आवेदन किसी भी व्यक्तिगत हित के लिए दाखिल नहीं कर रहा है। आवेदन दाखिल करने से उसे या उसके किसी भी संबंध को लाभ नहीं होने वाला है।

4. उत्तरदाता नंबर 2 ने अपने आवेदन में आगे कहा है कि हालांकि प्राथमिकी 09.01.2006 को दर्ज की गई थी, लेकिन आरोपी व्यक्तियों द्वारा चुनी गई रणनीति से इसमें देरी हुई। सतर्कता विभाग ने लगभग 14 वर्षों के बाद जांच पूरी की और अभी भी आरोपी व्यक्ति आरोपों से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दायर पूर्वोक्त आवेदन 09.09.2020 को विचार के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष आया था, जो आवेदन निम्नलिखित आदेश द्वारा निपटाया गया थाः

"2020 के विशेष परीक्षण संख्या 520 को समाप्त करने और समाप्त करने के लिए तत्काल आवेदन दायर किया गया है", उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संजय तिवारी "2006 के मुकदम अपराध संख्या 02 से संबंधित, धारा 420, 467, 468, 471, 477 ए और 120 बी आई.पी.सी. और धारा 13 (1) सी/डी के तहत भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के 13 (2) के साथ पढ़ा गया। पुलिस स्टेशन कुर्सी, जिला बाराबंकी, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, न्यायालय संख्या 5, गोरखपुर की अदालत में लंबित है। वरिष्ठ वकील ने निवेदन किया कि विशेष परीक्षण इस अदालत के समक्ष लंबित होने में तेजी लाई जाए। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आवेदन संबंधित न्यायालय को निर्देश देने के लिए खड़ा है कि वह पूर्वोक्त मामले की कार्यवाही में तेजी लाए और उसी को जल्द से जल्द समाप्त करे, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के दिन प्रतिदिन के आधार पर कानून के अनुसार, बशर्ते कोई बाधा न हो।

5. उच्च न्यायालय के आदेश पर सवाल उठाने वाले अपीलकर्ता के वकील ने निवेदन कि उच्च न्यायालय से धारा 482 सी.आर.पी.सी. के तहत आवेदन का विचार करने में त्रुटि हुई है। प्रतिवादी नंबर 2 के उदाहरण पर जिनके पास धारा 482 सी.आर.पी.सी. के तहत याचिका दायर करने के लिए कोई अधिकार नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने कोई नोटिस जारी किए बिना सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 9 एस.सी.सी.आर. अपीलकर्ता जो मुकदमे में एक अभियुक्त था और 482 सी.आर.पी.सी. में प्रतिवादी नंबर 2 के रूप में प्रत्यारोपित किया गया था। आवेदन आदेश पारित किया।

6. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान एक ऐसा मामला नहीं था जहां यह कहा जा सके कि कोई भी देरी अभियुक्त के कारण होती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रासांगिक तथ्य यह है कि एफ.आई.आर. दर्ज करने के परिणामस्वरूप कार्यवाही पूरी अवधि के लिए उच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गई थी, जिसके कारण कोई भी आरोप-पत्र दायर किया जा सकता था, जो आदेश दिए जाने पर उच्च न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था, जब आदेश को पारित किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने को भी उच्च

न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करने की चुनौती दी जाती है। जिसे 29.01.2020 को गैर-उपस्थिति पर खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी ने 15.06.2020 को रिट याचिका संख्या 45047/2005 की बहाली के लिए एक बहाली / प्रत्याहान आवेदन दायर किया।

7. राज्य के लिए वकील ने निवेदन कि सभी आपराधिक मुकदमे जहां भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अपराध शामिल हैं, उन्हें दिन-प्रतिदिन के आधार पर आयोजित किया जाना चाहिए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के लिए कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है।

8. उत्तरदाता नंबर 2 हालांकि वकील के माध्यम से 03.11.2020 को इस कार्यवाही में उपस्थित हुआ था, लेकिन बाद में उसने अपने वकील को निर्देश दिया कि वह आगे उपस्थित न हो और 09.12.2020 को उपस्थित होने में विफल रहा, जो इस न्यायालय द्वारा तय की गई तारीख थी।

9. हमने पार्टियों के लिए निवेदन वकील की प्रस्तुतियाँ पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

10. जिन तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाया गया है, उनसे यह स्पष्ट है कि एफ.आई.आर. 02/2006 में 23.05.2020 को चार्जशीट दाखिल करने के बाद ही 2020 का क्रिमिनल ट्रायल नंबर 520 दर्ज किया गया था, ट्रायल कोर्ट द्वारा भी तारीख पर आरोप तय नहीं किए गए हैं।

11. यह अच्छी तरह से तय है कि आपराधिक मुकदमे जहां भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अपराध शामिल हैं, उन्हें जल्द से जल्द आयोजित किया जाना चाहिए और निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अपराध ऐसे अपराध हैं जो न केवल अभियुक्तों बल्कि पूरे समाज और प्रशासन को प्रभावित करते हैं। यह भी अच्छी तरह से तय है कि उपयुक्त मामलों में उच्च न्यायालय धारा 482 सी.आर.पी.सी. के तहत बहुत अच्छी तरह से या किसी अन्य कार्यवाही में हमेशा आपराधिक मुकदमे में तेजी लाने के लिए ट्रायल कोर्ट को निर्देशित किया जा सकता है और ऐसे आदेश पारित करना आवश्यक हो सकता है। लेकिन वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा शुरू की गई कार्यवाही एक निष्कपटपूर्ण कार्यवाही प्रतीत नहीं होती है। उत्तरदाता नंबर 2 किसी भी तरह से संजय तिवारी बनाम राज्य उत्तर प्रदेश और अन्य से जुड़ा नहीं है।

[अशोक भूषण, जे.]

अपीलार्थी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करना भाग धारा482 सी.आर.पी.सी. के अपने आवेदन में उत्तरदाता नंबर 2, अनुच्छेद 6 में उन्हें एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक अधिवक्ता के रूप में वर्णित किया गया है। एक व्यक्ति द्वारा एक आवेदन जो किसी भी तरह से धारा 482 सी.आर.पी.सी. के तहत आपराधिक कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे से जुड़ा नहीं है, उच्च न्यायालय द्वारा आमतौर पर विचारण नहीं किया जा सकता है। एक अभियुक्त का आपराधिक मुकदमा आपराधिक प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित किया जाता है। यह सुनिश्चित करना कि सभी आपराधिक मुकदमे तेजी से चलाए जाएं ताकि दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को न्याय दिया जा सके, यह दायित्व राज्य और अभियोजन पक्ष का है। वर्तमान एक ऐसा मामला नहीं है जहां अभियोजन या यहां तक कि अभियुक्त के नियोक्ता ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष या किसी अन्य अदालत में एक आवेदन दायर किया है, जो धारा 482 सी.आर.पी.सी. के तहत अपने आवेदन में प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा प्रार्थना की गई दिशा की मांग करता है।

12. आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देने या अभियुक्तों की आपराधिक कार्यवाही के संबंध में राहत पाने के लिए किसी तीसरे पक्ष के ठिकाने के संबंध में जनता दल बनाम एच.एस. चौधरी और अन्य (1993) 1 एससीसी 756 में इस न्यायालय द्वारा निपटा गया था। उपरोक्त मामले में सी.बी.आई. ने 14 आरोपियों के खिलाफ आई.पी.सी. के साथ-साथ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1947 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की थी। सी.बी.आई. द्वारा दायर एक आवेदन पर निवेदन परीक्षण न्यायाधीश ने आवेदन को इस हद तक अनुमति दी कि आचरण करने का अनुरोध

आवश्यक जांच और आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने के लिए जो स्विट्जरलैंड में एकत्र किए जा सकते हैं, 05.02.1990 को आदेश पारित किया गया जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए है:

"परिणाम के अनुसार, सी.बी.आई. के आवेदन को इस हद तक अनुमति दी जाती है कि आवश्यक जांच करने और आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने का अनुरोध जो स्विट्जरलैंड में एकत्र किया जा सकता है और इस आदेश में निर्देशित सीमा तक स्विट्जरलैंड के परिसंघ के सक्षम न्यायिक अधिकारियों को किया जाएगा। स्विस कानून द्वारा आवश्यक अपेक्षित / उचित उपक्रम दाखिल करने और पारस्परिकता के लिए आश्वासन के माध्यम से किया जायेगा। "

13. श्री एच.एस. चौधरी द्वारा एक आपराधिक विविध आवेदन दायर किया गया था। चौधरी ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष विभिन्न प्रार्थनाओं की मांग की, जिसे विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। धारा 397/482 सी.आर.पी.सी. के तहत एक आपराधिक संशोधन एच.एस. चौधरी द्वारा विशेष न्यायाधीश के आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में दायर किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया था। इस न्यायालय में विभिन्न पक्षों द्वारा एच.एस. चौधरी सहित उक्त आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 9 एस.सी.सी.आर. यह न्यायालय एच.एस. चौधरी आैर अन्य द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए निम्नलिखित अवलोकन देता है: 26. यहां तक कि अगर कानून के लाखों सवालों को गहराई से जाना जाता है और निर्दिष्ट आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज इस प्रकृति के एक आपराधिक मामले में जांच की जाती है, तो यह उनके और अकेले उनके लिए है, ऐसे सभी सवालों को उठाने और उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती देने के लिए उचित समय आैर उचित मंच के समक्ष और जनहित याचिकाओं की आड़ में तीसरे पक्ष के लिए नहीं है। 27. हम मामले की उपरोक्त पृष्ठभूमि में मामले के सभी पहलुओं पर गहन और श्रमसाध्य विचार और सावधानीपूर्वक विचार करने और सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से दोनों पक्षों के प्रतिद्वंद्वी विवादों की गहराई से जांच करने के बाद अपने निष्कर्ष इस प्रकार देते हैं: 1. श्री एच.एस. चौधरी के पास जनहित याचिकाकर्ता के रूप में अनुच्छेद 51ए के तहत याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है (ए) कि वह प्रार्थना करें कि सी.बी.आई. के अनुरोध पर कोई पत्र रोगेटरी/अनुरोध जारी न किया जाए और उन्हें पहले जांच में शामिल होने की अनुमति दी जाए। विशेष न्यायालय जिसने 5.2.90 को स्विट्जरलैंड परिसंघ के सक्षम न्यायिक प्राधिकारियों को अनुरोध पत्र/अनुरोध जारी करने का निर्देश दिया; (बी) विशेष न्यायाधीश के आदेश दिनांक 18.8.90 की शुद्धता, वैधता या औचित्य को चुनौती देने वाली सी.आर.पी.सी. की धारा 397 के साथ पठित धारा 401 के तहत उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को लागू करने के लिए और (सी) के असाधारण क्षेत्राधिकार को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय ने सी.आर.पी.सी. की धारा 482 के तहत न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने की दलील पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22.1.90 और उससे उत्पन्न अन्य सभी कार्यवाहियों को रद्द करने के लिए कहा। 28. परिणाम में, हम श्री न्यायमूर्ति एम.के. चावला के आदेश दिनांक 19.12.90 के पहले भाग से सहमत हैं कि श्री एच.एस. चौधरी और अन्य हस्तक्षेप करने वाले पक्षों के पास कोई अधिकार नहीं है। हालांकि, हमने आक्षेपित आदेश के दूसरे भाग को रद्द कर दिया है जिसके तहत उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है और राज्य और सी.बी.आई. को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और तदनुसार उनके द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस रद्द कर दिया गया है।

14. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने कहा कि आपराधिक मामले में सभी प्रश्न उठाना और उनके खिलाफ शुरू की कार्यवाही को उचित मंच पर उचित समय पर चुनौती देना आपराधिक मामले में पार्टियों का काम है, न कि सार्वजनिक हित की आड़ में तीसरे पक्ष का काम है। वादकारी।

15. हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी नंबर 2 के पास सी.आर.पी.सी. की धारा 482 के तहत आवेदन दायर करने का कोई अधिकार नहीं है, जो अदालत से आपराधिक मुकदमे की सुनवाई में तेजी लाने के लिए कह सके। हमने पहले ही देखा है कि सभी आपराधिक मुकदमें जहां भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत शामिल अपराधों को शीघ्र ही समाप्त किया जाना है और आमतौर पर उच्च न्यायालय के आदेश में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है जिसमें ट्रायल कोर्ट को आपराधिक मुकदमे में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है लेकिन वर्तमान मामले में तथ्य यह है कि कार्यवाही प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा शुरू की गई है, जो किसी भी तरह से कार्यवाही से चिंतित नहीं था और प्रतिवादी नंबर 2 के पास आवेदन दायर करने का कोई अधिकार नहीं है जो स्पष्ट रूप से रखरखाव योग्य नहीं

था, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के दिनांक 09.09.2020 के आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

16. परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी जाती है, उच्च न्यायालय के दिनांक 09.09.2020 के फैसले को रद्द कर दिया जाता है। प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा धारा 482 सी.आर.पी.सी. के तहत दायर आवेदन खारिज कर दिया गया है। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस आदेश में हमारे द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी आपराधिक मुकदमें को प्रभावित नहीं करेगी। हालांकि, हम मानते हैं कि ट्रायल कोर्ट के लिए आपराधिक मुकदमें में तेजी लाना खुला होगा, ये अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत लंबित कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश के अधीन होंगे।

कल्पना के. त्रिपाठी अपील स्वीकृत।

शिवम वशिष्ठ